

-: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक- जी/आई/ए-4(i)(a)130/13/1020 दिनांक 30.09.2026 से सहमति प्रदान किये जाने पर एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164 ए के प्रावधान के अन्तर्गत लिपिक ग्रेड-II के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-एफ17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 को अधिक्रमण (Supersession) के पश्चात राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि में से, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए श्री तायब सिंह त्यागी को लिपिक ग्रेड-II कर्मचारी के पद पर निम्न शर्तों के अधधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

| क्र. सं. | आवेदक का नाम व पता                                                                         | जन्मतिथि   | सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन व पे-लेवल | परिशिष्ट ‘क’ के अनुसार समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री तायब सिंह पुत्र स्व. श्री मूलचंद निवासी सीताराम कुशवाह कॉलोनी गुलाब बाग, धौलपुर (राज) | 15.07.1966 | 55,500/-<br>L-11                       | 26,100/-                                               |

नियुक्ति की शर्तें :-

- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति अन्दर सात योम में इस कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात कार्यग्रहण कराया जाना संभव नहीं होगा।
- उपस्थिति के समय मूल पीपीओ प्रमाणीकरण हेतु एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जाएगा।
- राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
- पुनर्नियुक्ति सेवाये 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
- पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर

(2)

क्रमांक : स्था/2026/...3276-3280

दिनांक : 01/10/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक जी/आई/ए-4(i)(a)130/13/1020 दिनांक 30.09.2026 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, (लेखा) धौलपुर
3. कोषाधिकारी धौलपुर
4. श्री तायब सिंह पुत्र स्व. श्री मूलचंद निवासी सीताराम कुशवाह कॉलोनी गुलाब बाग, धौलपुर (राज)
5. आदेश/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर